राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 2028809/12 जयपुर दिनांक 27-11-18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः-- आंगनबाडी केन्द्रों की मासिक रिपोर्ट **Google Sheet** पर **ICDS MPR EXCEL Sheet** में फीडिंग करने के संदर्भ में।

प्रसंगः-- प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय का परिपत्र क्रमांक प0 30 (6) मं.मं./2018 दिनांक 16.11.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गतिविधियों एवं विस्तृत जानकारी की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रति वर्ष माह 31 दिसम्बर, तक की सूचनाओं को संकलित करते हुऐ विभाग का वार्षिक **प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण** छपवाकर 325 प्रतियां प्रति वर्ष विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भिजवाने के निर्देश प्रदान थे। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.11.2018 को परिपत्र जारी कर 30 नवम्बर 2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संकलित करते हुए राजस्थान विधानसभा के अगामी बजट सत्र वर्ष 2019--20 में विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण 31 दिसम्बर, 2018 तक भिजवाने के निर्देश प्रदान किये है।

इस सन्दर्भ में विभाग के पत्र दिनांक 21.06.2018 व 26.07.2018 द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक **Google Sheet** पर **ICDS MPR EXCEL Sheet** में फीडिंग करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन समस्त संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की सूचनाऐ अभी तक फीडिंग नहीं की जा रही है।

अतः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6.11.2018 को जारी परिपत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण छपवा कर 31 दिसम्बर, 2018 तक विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु जिले में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की सूचनाऐ **Google Sheet** पर **ICDS MPR EXCEL Sheet** में परियोजनावार दिनांक 05.12.2018 तक फीडिंग करवाना सुनिश्चित करावें अन्यथा विलम्ब के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।

Ac p :— उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
S.O

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2018 जयपुर दिनांकः– 16/11/18

परिपत्र

विषय :–राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

राजस्थान विधानसभा का वर्ष 2019–20 का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक विभागों द्वारा राजकीय बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि के वर्ष 2018–19 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाकर, प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवाये जाते है।

मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 4(3)वित्त–1(1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय के बैठक निर्णय क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2016 पार्ट दिनांक 05.06.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि, जिनके वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने है, में दिनांक 30 नवम्बर तक की सूचना/ऑकडे सम्मिलित करते हुए तैयार किये जावेंगें, अभी तक उक्त प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर की सूचना संकलित कर तैयार किये जा रहे थे। वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से विधानसभा सचिवालय को भिजवाये जावेगें, संबंधित विभागों द्वारा यह पुष्टि की जावेगी कि उनके अधीनस्थ समस्त विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रमों इत्यादि के प्रगति विवरण में दिनांक 30 नवम्बर तक के आँकड़े/सूचना को सम्मिलित कर लिया गया है तथा विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर तक निश्चित रूप से विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त (आय–व्ययक)विभाग, एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक विभाग अपने अधीन विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रमों के प्रशासनिक प्रतिवेदन एकजाई कर समन्वय विभाग के द्वारा प्रेषित करते हुये एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार वर्ष 2018–19 के बजट सत्र में वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावेः–

1. **विभाग का संगठनात्मक ढांचा।**
2. **स्वीकृत– कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।**
3. **विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना।**
4. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि।**
5. **सार– संक्षेप (Executive summary)।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

4332
22/XI/18

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 मत्री, संसदीय कार्य विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. रक्षित पत्रावली ।

16/11/2018
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष

16/11/2018
वरिष्ठ शासन उप सचिव